न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 13, गाजियाबाद।

उपस्थित- श्री सौरभ गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O Code– 2757

सत्र परीक्षण संख्या-477/2023

राज्य बनाम आरिफ आदि

मु०अ०सं० 877/2021

धारा-147,302,201,506 भा०दं०सं०

थाना-मुरादनगर, जिला गाजियाबाद।

उपस्थितः-

1- अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.जी.सी. (क्रि०) श्री विरेश त्यागी।

2- बचाव पक्ष की ओर से मोहम्मद मारूफ मय अभियुक्त आरिफ व सफदर अली।

11-08-2023

मैमोरेण्डम

1- पत्रावली पेश हुई।

2- अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि आरोप पत्र केवल धारा 506 भा०दं०से० में आया है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से इन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302,201 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप तय किया जाना न्यायोचित है।

3- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोप पत्र दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भा०दं०सं० में प्रेषित किया गया है और अवर न्यायालय द्वारा भी संज्ञान धारा 56 भा०दं०सं० के लिये लिया गया है और कमिटल भई इसी धारा में हुआ है। अतः धारा 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध किया जाना न्यायोचित है। इन द्वारा धमकाने वाला कृत्य नहीं किया गया है जो उभयपक्ष का साक्ष्य आने के उपरान्त साबित करेगा।

4- पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त सफदर अली और आरिफ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है व किसी भी साक्षी स्वतंत्र साक्षी व अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति में धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में दोनों अभियुक्तगण का घटना के समय मौजूद होने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया। घटना से कई दिन पूर्व जान से मारने की धमकी देने के कथन हैं। आरोप पत्र धारा 506 भा०दं०सं० में दाखिल है व विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी धारा 506 भा०दं०सं० में संज्ञान लिया गया है।

5- अतः धारा 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। धारा 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र तय किये गये। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

(सौरभ गोयल)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्याय कक्ष सं०–13, गाजियाबाद।